पथ निर्माण विभाग

दिनांक–05/04/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत सिसौला–कटैया लिंक अदौरी पथ के 0 से 7.44 कि०मी० के उन्नयन कार्य के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

(iv) श्री राजेश्वर प्रसाद, सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–907(अनु०) दिनांक 06.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत सिसौला– कटैया लिंक अदौरी पथ के 0 से 7.44 कि०मी० के उन्नयन कार्य
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01/CMBD/2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹ 7,95,98,496.00
2.4	संवेदक का नाम		Rajendra Singh & Brothers.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	26.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	25.12.2014
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	30.06.2015
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	30.06.2015

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) **माओवादियों तथा लोक सभा चुनाव के कारण कार्य बाधित–** संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि (क) माओवादियों द्वारा कार्य स्थल पर धमकी देकर मजदुरों को भगा दिया गया जिसके फलस्वरूप दो माह तक कार्य बन्द रहा। (ख) लोक सभा चुनाव के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया एवं चुनाव कार्य में ट्रक लेने के कारण सामग्री की ढुलाई नहीं हो पाया।

8.4.19

संवेदक द्वारा उपरोक्त कारणों के आलोक में 91 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(ii) **वर्ष 2014 में बिटुमिन अनुपलब्धता के कारण विलंब–** संवेदक द्वारा सूचित किया गया वर्ष 2014 में दिनांक 28.06.2014 से दिनांक 18.07.2014 तक कुल 21 दिनों तक बिटुमिन अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया गया था। कार्यपालक अभियंता भी द्वारा 21 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

(iii) **वर्ष 2015 में बिटुमिन अनुपलब्धता के कारण विलंब–**

(क) संवेदक द्वारा सूचित किया गया वर्ष 2015 में दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 30.01.2015 तक बिटुमिन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ। उक्त के कारण 30 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(ख) संवेदक द्वारा दिनांक 28.03.2015 से दिनांक 12.05.2015 तक कुल 46 दिनों तक बिटुमिन अनुपलब्धता के संबंध में सूचित किया गया। संवेदक द्वारा 76 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

अतः उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 187 दिनों अर्थात् दिनांक 30.06.2015 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No-8706 of 2018 में दिनांक 27.11.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है।

"Accordingly, it is directed that the petitioner shall file a representation before the respondent no.3 regarding his grievances raised in the writ petition within a period of two weeks from today and the respondent no.3 is directed to disposed of the same within a period of four weeks thereafter."

उपरोक्त के आलोक में दिनांक 30.06.2015 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5.4.19

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–907(अनु०) दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं **C.W.J.C. No-8706 of 2018** में पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत सिसौला– कटैया लिंक अदौरी पथ के 0 से 7.44 कि०मी० के उन्नयन कार्य (एकरारनामा सं0–**01/CMBD/2014-15**) हेतु दिनांक 30.06.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(राजेश्वर ...) 5/4/19
सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(रामावतार साह) 5/04/19
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

(लक्ष्मी नारायण दास) 5/4/19
अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अमृत लाल मीणा) 5/4/19
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध(स०वि०)–17/2016– 2700(E) पटना, दिनांक– 5/4/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।